हाशिए पर रहने वाले बच्चे व्यक्तित्व और अस्तित्व की तलाश

पवन सिन्हा*

बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं, धरोहर हैं! लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राष्ट्र-निर्माण और उसकी उन्नति के कर्णधार बच्चे ही हैं जो कुछ वर्षों बाद राष्ट्र के युवा हो जाएँगे! यूँ भी भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है! हमारे देश में बच्चे जिन-जिन स्थितियों में रहते हैं या गुज़र-बसर करते हैं उनमें वैविध्य है। कुछ बच्चे समाज की मुख्य धारा में हैं तो कुछ बच्चे हाशिए पर! कुछ बच्चे इस 'हाशिए' से भी परे जाने वाले हैं और ये वे बच्चे हैं जो फुटपाथ पर अपना बचपन, जीवन गुज़ारते हैं। अभी यहाँ, कल वहाँ, परसों न जाने कहाँ? जीवन में केवल 'फुटपाथ', 'बस्ती' और 'चौराहा' ही बदलता है... जीवन कब बदलेगा—यह पता नहीं। हाशिए पर रहने वाले बच्चे भी अपने अधिकार का 'अधिकार' रखते हैं। जीने का अधिकार भी और शिक्षा का अधिकार भी! लेकिन फिर भी ये बच्चे अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र हाशिए पर रहने वाले इन्हीं बच्चों के व्यक्तित्व-विशेषकों को खोजने का प्रयास है!

© NCERT not to be republished

प्रस्तावना

शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को आलोचनात्मक विवेक देना है। अपने समाज के प्रति सजग बनाना है। हम शिक्षा को कैसे भी व्याख्यायित करें लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा मूलतः मानव केंद्रित है। इसके साथ ही शिक्षा संस्कृति की सहगामी, सह-प्रक्रिया है। इस रूप में शिक्षा और संस्कृति और उस संस्कृति के समाज को पृथक नहीं किया जा सकता। शिक्षा, परिवार, समाज, संस्कृति—सभी एक-दूसरे के साथ परस्पर संबद्ध हैं। शिक्षा एक ओर बच्चे से जुड़ी हुई है तो दूसरी ओर विराट फलक पर वह राष्ट्र से जुड़ी हुई है। व्यष्टि से समष्टि तक की यह शिक्षा-यात्रा निरंतर चलती रहती है। यही कारण है कि शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इसका अर्थ यह भी है कि सीखना कभी समाप्त ही नहीं होगा, जब तक जिएँगे, सीखते रहेंगे, क्योंकि 'समय' सब समय एक समान नहीं रहने वाला है! समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

हैं, शिक्षा उसका अपवाद नहीं है। अत: शिक्षा को उसके समग्र स्वभाव, उसकी समग्र दृष्टि के अनुसार ही देखने-समझने का कार्य किया जाना चाहिए।

शिक्षा और समावेशन

एक और ज़रूरी बात यह है कि शिक्षा सदैव पूर्णता की बात करती है और समग्र दृष्टि को ही प्रश्रय देती है।

इस अर्थ में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा का स्वरूप समावेशी है। शिक्षा कभी भी 'किसी' को भी हाशिये पर नहीं धकेलती बल्कि वह सभी को साथ लेकर चलती है और साथ चलने , शामिल होने और सम्यक प्रगति करने के प्रति सदा चिंतित रहती है। शिक्षा की यह चिंता उससे जुड़ी हर नीति में, रणनीति और क्रियान्वयन में नज़र आती है! राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि 'स्कूल में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी, साथ-साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे क) स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं, ख) ड्रॉप आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुन: मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ...छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना होगा, ताकि छात्र (विशेष रूप से लड़कियाँ और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी) और उनके माता-पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएँ।' (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ 15)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह कथन नि:संदेह शिक्षा के समावेशी स्वरूप की चर्चा करता है और उनके प्रति समाज के दायित्व की चर्चा करता है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक दस्तावेज़ों में समाज के बहिष्कृत वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। 'सभी के लिए शिक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है विकास की धुरी है। इसे एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए और इसके लिए एक सुदृढ़ तथा संधारित राजनीतिक प्रतिबद्धता, विस्तारित वित्तीय आवंटन के साथ-साथ नीति-निर्माण में, रणनीतिक योजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं में 'सभी के लिए शिक्षा' के सभी भागीदारों का सक्रिय योगदान या प्रतिभागिता होनी चाहिए। ... छह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं से परे अच्छी तरह से विस्तारित है। ...सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए घरेलू समुदाय और स्कूली स्तरों पर होने वाले बहिष्करण के सहभागी विश्लेषण की आवश्यकता होती है। साथ ही और सीखने की विविध, लचीले और नवीन उपागमों तथा एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जो परस्पर सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देता है।' (*डकार फ्रेमवर्क—कार्य के लिए*, 2000, पृष्ठ 17, 20)

हाशिये की संस्कृति— जटिलताएँ और समाधान

'हाशिया' शब्द को सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक साधनों के माध्यम से

© NCERT not to be republished

व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को फिर से परिभाषित करने की एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। दुनिया भर में लाखों लोग हाशिए पर हैं। यह लोग प्रताड़ित होते हैं उनके जीवन और धन पर सीमित मात्रा में शक्ति होती है। परिणामस्वरूप, वे समाज में योगदान करने की अपनी क्षमता में सीमित हैं। उनके स्वस्थ और स्थिर संबंधों की कमी उन्हें स्थानीय जीवन में उलझने से रोकती है, जिससे वे अधिक अलगाव की ओर अग्रसर होते हैं। मानव विकास के साथ-साथ संस्कृति पर भी इसका व्यापक प्रभाव है। हाशिए की समस्या को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों में से एक ऐसा माहौल बनाना है जो लोगों को समृद्ध, सुरक्षित और अभिनव जीवन जीने की अनुमति देता है। विकास की अवधारणा अक्सर व्यापक भागीदारी की व्यापक रूप में तैयार की जाती है। हाशियाकरण दुनिया की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को विकास में संलग्न होने से रोकता है। यह एक जटिल मुद्दा है और ऐसे कई कारक हैं जो उन्हें हाशिए पर डालते हैं।

यूनेस्को का एक दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से कहता है— "स्कूलों को अपने शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए। इसमें विकलांग और प्रतिभाशाली बच्चे, सड़क पर रहने वाले और कामकाजी बच्चे, दूरदराज़ या घुमंतू आबादी के बच्चे, भाषाई, जातीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बच्चे और अन्य वंचित या हाशिए वाले क्षेत्रों और समूहों के बच्चे शामिल होने चाहिए।" (यूनेस्को, 1994, 4:6) इसका अर्थ यह है कि हाशिये पर रहने वाले बच्चे एक 'खास वर्ग' से संबंध रखते हैं। एक ऐसा वर्ग जिसके पास 'अभाव' है—अर्थ का और शक्ति का भी! ऐसी स्थिति में शिक्षा वह माध्यम बनती है जो उन्हें अपने अभावों से लड़ने के लिए तैयार करती है और हाशियाकरण से 'निबटने' का माध्यम बनती है!

बाल अधिकार, मानव अधिकार और शिक्षा

बाल अधिकार और मानव अधिकारों के दस्तावेज़ों में भी बच्चों और मानव के लिए शिक्षा के प्रावधान का उल्लेख किया गया है! इतना ही नहीं, जीवन की गुणवत्ता के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। सबसे पहले बाल अधिकारों के उन अनुच्छेदों को देख और समझ लें जो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण जीवन और व्यक्तित्व विकास के विशेष प्रावधान का उल्लेख करते हैं—

- अनुच्छेद 27— आपको ऐसा जीवनस्तर प्राप्त करने का अधिकार है जो आपकी शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों को भली-भांति पूरा कर सके। सरकार को आपके परिवार की मदद करनी चाहिए, यदि वह आपको यह सब उपलब्ध नहीं करा सकते।
- अनुच्छेद 28— आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क होनी चाहिए।
- अनुच्छेद 29— शिक्षा ऐसी हो जो आपके व्यक्तित्व व प्रतिभा को उतनी विकसित करे जितनी संभव है। यह आपको अपने माता-पिता, अपनी, तथा अन्य संस्कृतियों का आदर करने के लिए प्रोत्साहित करें।

मानव अधिकारों की बात करें तो स्थिति कुछ इस तरह से नज़र आती है—

© NCERT not to be republished

अनुच्छेद 1— सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद 3— प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 26—1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों-संबंधी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी। 2. शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों, अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा। 3. माता-पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वह चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।

बाल अधिकारों और मानव अधिकारों में न केवल शिक्षा की बात की गई है बल्कि जीवन की गुणवत्ता की भी चर्चा की गई है। इस अर्थ में जीवन और शिक्षा दो ऐसी अवधारणाएँ हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता का जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है! बुनियादी स्वतंत्रता के साथ विश्लेषणात्मक चिंतन स्वयमेव जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता को 'यूँ ही नहीं छोड़ा जा सकता!' तर्क और वैज्ञानिक चिंतन आवश्यक है, अन्यथा सृजन के स्थान पर विनाश को आमंत्रण मिल सकता है। 'मैं' से ऊपर उठकर ही कार्य करने और देखने की दृष्टि अपेक्षित है। मानव-व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सर्वोपरि प्राथमिकता है और मानव जीवन का उद्देश्य भी है! सहिष्णुता और मैत्री, शांति, सद्भाव आदि गुणों से पूरित मानव व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के उद्देश्यों में भी स्थान पाता है और पाना भी चाहिए। गौरव की अनुभूति और चयन का अधिकार भी अपेक्षित है! यह एक विचारणीय बिंदु है कि मानव अधिकार बच्चों के माता-पिता को यह अधिकार देता है कि वे अपने बच्चे की शिक्षा की 'किस्म' का चयन करें। निःसंदेह यह बात माता-पिता को भी 'भाएगी' कि वे अपने बच्चे की शिक्षा और उस शिक्षा के बहाने उसके जीवन की 'किस्म' का निर्धारण कर सकें।

इस संदर्भ में विनोबा भावे का यह कथन बरबस स्मरण हो आता है— "मैं मानता हूँ कि तालीम का ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए जिससे की लड़कों की प्रज्ञा स्वयंभू बने और वे स्वतंत्र विचारक बनें। अगर विद्या में यह मुख्य दृष्टि रही तो विद्या का सारा स्वरूप ही बादल जाएगा। जीवनोपयोगी ज्ञान किसी स्थूल में हासिल नहीं हो सकता, यह विचार ही गलत है। जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान तो जीवन से ही हासिल होता है। विद्यार्थियों में यह ज्ञान हासिल करने की शक्ति जाग्रत करना ही विद्यालयों का काम है। ... विद्या की तरफ इस दृष्टि से देखना कि विद्या पाकर नौकरी मिल सकती है, यह बिल्कुल गलत है। विद्या एक मौलिक वस्तु है। जिसे सच्ची शिक्षा हासिल होती है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त और स्वतंत्र

© NCERT not to be republished

होता है।" (चोलकर (संपादक), *विनोबा-विचार-दोहन*, पृष्ठ 111) इस अर्थ में शिक्षा व्यक्तित्व और अस्तित्व के तलाश की यात्रा है!

इसी मूल बिंदु को केंद्र में रखते हुए प्रस्तुत शोध की रूपरेखा तैयार की गई और ऋषिकुलशाला के बच्चों का अवलोकन करते हुए उनके व्यक्तित्व-विशेषकों को जानने का प्रयास किया गया। अंतत: वे भी मानव समाज का हिस्सा हैं।

शोध का शीर्षक—'हाशिये पर रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व-विशेषकों का अध्ययन'

शोध के उद्देश्य

1. हाशिये पर रहने वाले बच्चों के भाषा संबंधी व्यक्तित्व-विशेषकों का अध्ययन करना।
2. हाशिये पर रहने वाले बच्चों की कार्य करने से संबंधित व्यक्तित्व-विशेषकों का अध्ययन करना।
3. हाशिये पर रहने वाले बच्चों के दूसरों के साथ व्यवहार संबंधी व्यक्तित्व-विशेषकों का अध्ययन करना।

शोध-प्रारूप

न्यादर्श

न्यादर्श के रूप में ऋषिकुलशाला के उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जिले के दो और दिल्ली राज्य के दो केंद्रों के कुल 185 बच्चों को शामिल किया गया। गाज़ियाबाद और दिल्ली के चारों केंद्रों पर लगभग 50-50 बच्चे नामांकित हैं। चारों केंद्रों के बच्चों के माता-पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। पिता मज़दूरी करते हैं, सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं। माता या तो घरों में काम करती हैं या फिर वे भी अपने पति के साथ मज़दूरी करती हैं। अधिकतर समय घर से बाहर रहने के कारण बच्चे 'आज़ाद' हैं और दिनभर 'धमाल' मचाते रहते हैं। चारों केंद्रों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य समान है और सभी जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने से जूझ रहे हैं।

शोध उपकरण

शोध उपकरण के रूप में अवलोकन सूची का निर्माण और प्रशासन किया गया। इस अवलोकन सूची में अवलोकन के 30 बिंदु थे जो मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं—

1) मौखिक भाषागत व्यवहार— इसमें शामिल बिंदु में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना और दूसरों की बातों को रुचि और धैर्य के साथ सुनना मुख्य हैं।

2) दूसरों के साथ व्यवहार— इसमें मुख्य रूप से दोस्त, उनकी दोस्ती, सबके प्रति सम्मान, दूसरों के काम में हाथ बँटाना आदि बिंदु शामिल हैं।

3) स्वयं की प्रवृत्ति और व्यवहार— इसमें व्यक्तित्व के निजी गुणों को शामिल किया गया है, जैसे— खुश रहना, अनुशासित रहना, सवाल पूछने की प्रवृति आदि।

आँकड़ा एकत्रीकरण

अवलोकन सूची के आधार पर सभी बच्चों का छह महीने निरंतर अवलोकन किया गया और यह अवलोकन केंद्र की अलग-अलग 'सेटिंग्स' यानी संदर्भों में किया गया, जैसे बच्चा खेलते समय किस तरह का व्यवहार करता है? खेलते समय कौन-कौन से दोस्त उसके साथ होते हैं? भोजन करते समय वह किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है? अपने दोस्तों

© NCERT not to be republished

के साथ और शिक्षक के साथ बातचीत में वह कितना सहज और आत्मविश्वासी है? दोस्तों के साथ और शिक्षकों के साथ बातचीत करते समय भाषा संबंधी व्यवहार कैसा होता है? अवलोकन के दौरान अत्यंत सावधानी से आँकड़ों का एकत्रीकरण किया गया। तत्पश्चात आँकड़ों को सारिणीबद्ध करते हुए प्रतिशत निकाला गया। एतद् उपरांत आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

1) **मौखिक भाषागत व्यवहार**—जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तित्व-विशेषक के इस पक्ष में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना और दूसरों की बातों को रुचि और धैर्य के साथ सुनना आदि मुख्य व्यवहार शामिल हैं। आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 69.73 प्रतिशत बच्चे बेझिझक अपनी बात नहीं कह पाते और लगभग इतने प्रतिशत बच्चे (66.49 प्रतिशत) अपनी बात कहने में रुचि भी नहीं लेते। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने वाले बच्चों का प्रतिशत मात्र 36.21 है और लगभग इतने प्रतिशत बच्चे (29.18 प्रतिशत) अपनी बात कहने में शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। अपशब्दों का प्रयोग करना और अभद्र भाषा में व्यवहार करना – बस्ती के बच्चों के भाषागत व्यवहार का एक विशिष्ट 'विशेषक' है। 'अबे, ओय, साले...तू चल तो सही, देखता हूँ तुझे और तेरे भाई को, बड़ा आया...!' जैसे शब्द आम हैं! छोटों के साथ 'तू' का प्रयोग बड़ों तक आते-आते 'तुम' में बादल जाता है– 'तुमने मुझे तो दिया नहीं बस्ता!' बड़ों के साथ जिस तरह की भाषा का व्यवहार बस्ती में होता होगा, वैसी ही भाषा बच्चे अपने भाषा-परिवेश से अर्जित करते होंगे! सामान्यत: हमारा कार्य-क्षेत्र और जटिल स्थितियाँ भाषा-व्यवहार को नियंत्रित करते हैं या उसके स्वरूप को गढ़ते हैं। संसाधनों का अभाव और समाज में स्वयं की स्थिति के कारण अक्सर भाषा-व्यवहार में 'कटुता' आ सकती है, यही 'भाषा'बच्चों द्वारा अर्जित कर ली जाती है।

आरेख 1— मौखिक भाषागत व्यवहार

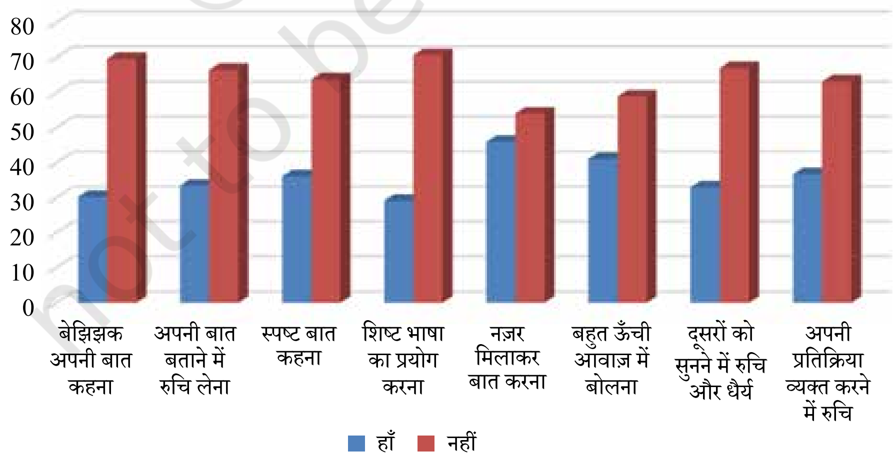

© NCERT not to be republished

भाषा-व्यवहार के संबंध में एक बिंदु विशेष है और वह यह कि हम किसी से नज़र मिलाकर अपनी करते हैं या नहीं! इस संदर्भ में न्यादर्श में शामिल 45.94 प्रतिशत बच्चे नज़र मिलाकर अपनी बात कहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि बच्चे अपनी स्थितियों को स्वीकार कर बैठ चुके हैं तो इसके बाद किसी बात का कोई भय नहीं होगा। न्यादर्श में शामिल 58.92 प्रतिशत बच्चे बहुत ऊँची आवाज़ में बात करते हैं जो कि अशिष्ट भाषा का परिणाम हो सकता है। चीख-चीखकर अपनी बात कहने का 'शऊर' परिवेश का प्रभाव हो सकता है और वह भी विशिष्ट रूप से भाषा-परिवेश का। बातचीत का एक और अहम पहलू है, वह यह कि सुनी गई बात के प्रत्युत्तर में अपनी प्रतिक्रिया देना जो बातचीत में 'सक्रिय भूमिका' को दर्शाता है। इस संदर्भ में मात्र 36.75 प्रतिशत बच्चे ही अपनी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करने में रुचि प्रदर्शित करते हैं, शेष 63.25 प्रतिशत बच्चे 'मौन' ही रहते हैं। 'मौन' एक प्रकार की उदासीनता है जो एक ओर 'निष्क्रियता' की तरफ संकेत करती है तो दूसरी तरफ 'स्वीकार्यता' की तरफ –'जो ही, जैसा है, सब ठीक है!स्थितियाँ बदलने वाली नहीं हैं।'

भाषागत व्यवहार के समस्त आँकड़े यह दर्शाते हैं कि हाशिये पर रहने वाले बच्चों की भाषागत उपलब्धियाँ सीमित हैं और उनका भाषा-व्यवहार 'संकोच और उदासीनताओं' से भरा पड़ा है। हाशिये पर रहने वाले न तो ये बच्चे समाज की मुख्य धारा में हैं और न ही इनकी भाषिक अभिव्यक्ति!

2) **दूसरों के साथ व्यवहार** –जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि इसमें मुख्य रूप से दोस्त, उनकी दोस्ती, सबके प्रति सम्मान, दूसरों के काम में हाथ बँटाना आदि बिंदु शामिल हैं। दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके से भी व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का ज्ञान होता है। आरेख 2 से बच्चों के दूसरों के साथ व्यवहार करने के 'सलीके' के अनेक पक्ष उद्घाटित करता है।

आरेख 2— दूसरों के साथ व्यवहार

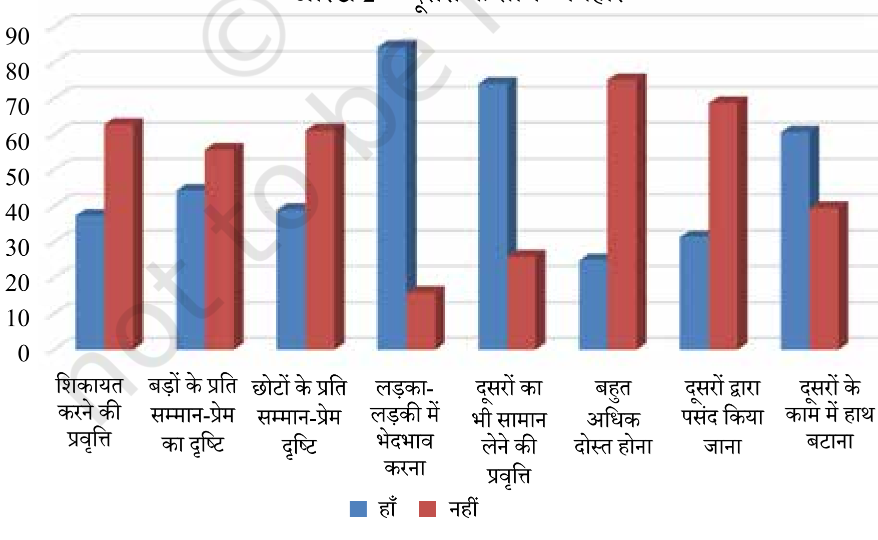

© NCERT not to be republished

आँकड़ों से ज्ञात होता है कि अगर दोस्तों के साथ मनमुटाव भी हो जाए तो 62.71 प्रतिशत बच्चों में शिकायत करने की प्रवृत्ति नहीं है। विभिन्न संदर्भों में बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करने के आधार पर यह कहा जा सकता है प्राय: बच्चे आपस में ही झगड़ लेते हैं और मामले को आपस में ही निपटा लेते हैं। कोई भी 'कमतर' नहीं पड़ता। लगभग आधे बच्चे यानी 55.86 प्रतिशत बच्चे बड़ों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं और उनका आदर करते हैं। इस सम्मान में भय से ज़्यादा किसी के काम और व्यवहार या सरोकार को पूरी संवेदना के साथ समझना और अनुभूत करना है। जबकि 44.32 प्रतिशत बच्चे बड़ों के प्रति सम्मानजनक दृष्टि नहीं रखते और बड़ों की बातों को 'हवा में उड़ा देते हैं।' छोटों के प्रति सम्मान और प्रेम की स्थिति भी लगभग यही है। कुल 61.09 प्रतिशत बच्चे छोटों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं। बस्ती के बच्चों के बीच एक अलग-सा ही लगाव प्रतीत होता है, सामुदायिक भावना से ओत-प्रोत बस्ती के बच्चे छोटों का विशेष ध्यान भी रखते हैं। वे आपस में भेदभाव नहीं करते कि अमुक किसका भाई या बहन है! बच्चों में आपसी बातचीत और व्यवहार से इन आँकड़ों की भी पुष्टि होती है कि बच्चे लड़के-लड़की में भेदभाव रखते हैं, जैसे, अक्सर लड़के अपने छोटे भाई-बहनों को संभालने की ज़िम्मेदारी नहीं लेते अगर उनकी बहन है तो! वे कह देते हैं कि 'यह तो लड़कियों का काम है बच्चे संभालना!' इतना ही नहीं लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग समूहों में रहते, खेलते हैं और केंद्र पर आने-जाने का कम करते हैं! आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 84.32 प्रतिशत बच्चे लड़के-लड़की में भेदभाव रखते हैं जबकि 15.68 प्रतिशत बच्चों के व्यवहार में यह भेदभाव दृष्टिगत नहीं होता।

आँकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि 74.05 प्रतिशत बच्चे दूसरों का सामान लेने की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। ऋषिकुलशाला के केंद्रों में बच्चों को प्रतिदिन जलपान, तीज-त्योहार आदि पर उपहार आदि मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी ज़रूरी सामग्री भी मिलती है। जब सामग्री का वितरण होता है तो बच्चे अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों के लिए भी सामान की माँग करते हैं और वितरण के समय अनुशासनहीनता फैल जाती है। सामान की छीनाझपटी में कई बार नुकसान भी होता है। बच्चों में इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण जो समझ में आता है वह है– अभावों से भरा जीवन! जीवन की बुनियादी ज़रूरतों का भी मुश्किल से पूरा हो पाना या अक्सर पूरा न हो पाना संग्रह की प्रवृत्ति को जन्म देता है, यही कारण है कि बच्चे दूसरों का सामान लेने में 'विशेष रुचि' रखते हैं।

68.65 प्रतिशत बच्चों को किसी ने भी पसंद नहीं किया जबकि मात्र 31.35 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे है जिन्हें बाकी बच्चे पसंद करते हैं या जिनके दोस्त हैं! अक्सर बच्चों के बीच बढ़ती प्रतियोगिता के कारण बच्चे अपनी कोई एक सुनिश्चित राय नहीं बना पाते हैं। 'आज

© NCERT not to be republished

दोस्ती, कल झगड़ा!' 'परसों फिर से दोस्ती!' लेकिन यह दोस्ती स्थायी भाव वाली नहीं होती! यही कारण है कि केवल 24.86 प्रतिशत बच्चों के अधिक दोस्त हैं, शेष 75.14 प्रतिशत बच्चों से बाकी बच्चे दूर-दूर भागते हैं। एक छोटे समूह में कार्य करने और रहने की प्रवृत्ति बच्चों में हावी रहती है। सदबाव से पूरित 60.54 प्रतिशत बच्चे दूसरों के कामों में हाथ बँटाते हैं, आगे बढ़कर काम को हाथ में लेते हैं और उस काम को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। घर का परिवेश और परवरिश— दोनों ही इस प्रवृत्ति के उपजने में सहायक हो सकती हैं। माँ और कई बार बच्चियाँ दूसरों के घरों में कम करती हैं। माँ अगर घरेलू कार्य में लगी हैं तो उनकी बच्ची को अपनी 'मालकिन' के कामों, उनके छोटे बच्चों को संभालने का कार्य स्वयं ही ले लेती हैं। जानती हैं कि इस काम के बदले में उसे कुछ-न-कुछ तो ज़रूर मिलेगा ही! धीरे-धीरे उनकी यह प्रवृत्ति उनका स्थायी भाव बन जाती है। इसका एक और कारण यह हो सकता है कि बच्चों में किसी को लेकर दुर्भावना नहीं है, वे सहज रूप से सभी के साथ व्यवहार करते हैं और दूसरों के काम में हाथ बँटाते हैं।

3) **स्वयं की प्रवृत्ति और व्यवहार**— इसमें व्यक्तित्व के निजी गुणों को शामिल किया गया है, जैसे— खुश रहना, अनुशासित रहना, सवाल पूछने की प्रवृति आदि। इसमें शामिल समस्त बिंदु एक व्यक्तित्व के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। हम बच्चों में जितने भी वांछनीय परिवर्तन देखना चाहते हैं, उनका समाहार इस वर्ग में किया जा सकता है।

आरेख 3—स्वयं की प्रवृत्ति और व्यवहार

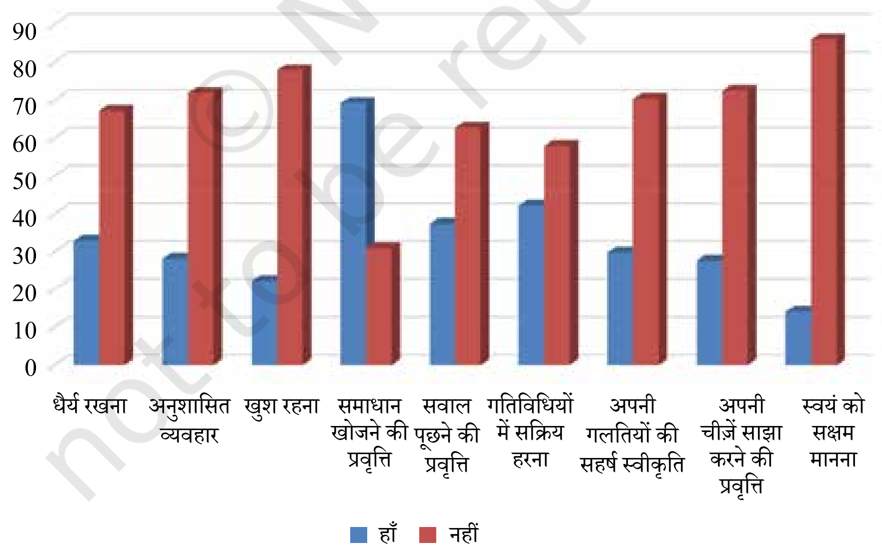

© NCERT not to be republished

जीवन में धैर्य रखना, अनुशासित व्यवहार करना और खुश रहना—व्यक्तित्व के अहम पहलू हैं। मानव जीवन में संघर्ष की स्थिति तो रहती ही है और उस स्थिति में धैर्य रखने से जटिल स्थितियों को अपने अनूकूल बनाया जा सकता है। खुश रहना यानी जीवन के अभावों के लिए न तो स्वयं को कोसना और न ही किसी और को कोसना व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है। जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है जिससे एक व्यवस्थित जीवन जिया जा सके। इन तीनों संदर्भों में आँकड़े इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि बच्चों में ये तीनों ही व्यक्तित्व विशेषक औसत से भी कम हैं और क्रमशः 67.14 प्रतिशत, 71.9 प्रतिशत और 77.84 प्रतिशत बच्चे न तो जीवन में धैर्य रख पाते हैं, न ही अनुशासित जीवन जी पाते हैं और न ही खुश रहते हैं। अभावों और तुलना के कारण संभवत: ऐसा हो! जीवन से संघर्ष करने की क्षमताएँ भी अक्सर चूक जाती हैं और धैर्य समाप्त होने लगता है। धैर्य का समाप्त होना अनुशासनहीनता को जन्म देता है जब बिना विचार किए 'कोई भी कार्य' करने लगते हैं जिससे असफलता अवश्यंभावी है! असफलता के कारण खुश होना भी कहाँ संभव हो पाता है!

अभावों से संघर्ष का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि 69.18 प्रतिशत में बच्चों में समाधान खोजने की प्रवृत्ति का स्तर काफ़ी प्रशंसनीय है। जीवन की जटिलताओं में उलझा बचपन बहुत पहले ही 'बड़ा' हो जाता है और नित्य-प्रतिदिन समाधानों की खोज करता है! 'अस्तित्व' की तलाश के साथ-साथ 'अस्तित्व' को बनाए रखना इस खोज का सबसे बड़ा संबल है।

इन बच्चों के पास सवाल बहुत होते हैं और वे हर छोटी से छोटी चीज़ को जानना, समझना चाहते हैं। वहीं 62.17 प्रतिशत बच्चे सवाल पूछने की प्रवृत्ति से लैस हैं। कक्षायी गतिविधियों में भागीदारी के संदर्भ में आँकड़े यह बताते हैं कि केवल 42.16 प्रतिशत बच्चे ही सक्रिय रूप से भागीदार रहते हैं, शेष 57.84 प्रतिशत बच्चे निष्क्रिय भाव से गतिविधियों में 'मूक दर्शक' की तरह बैठे रहते हैं! अपनी गलतियों की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने वाले केवल 29.72 प्रतिशत बच्चे हैं, शेष 70.28 प्रतिशत बच्चे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। स्वाभिमान और 'अहं' के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म और अदृश्य ही प्रतीत होती है। संभवत: बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, उनके अभावों, समाज-सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण 'हर बार गलत ठहराए जाने' की 'परंपरा' ने उन्हें ऐसा बना दिया हो कि वे गलत होते हुए भी स्वयं की गलती को स्वीकार नहीं करते! अपनी चीज़ों को साझा करने का 'साहस' केवल 27.56 प्रतिशत बच्चों में है जबकि 72.44 प्रतिशत बच्चे अपनी चीज़ों के प्रति 'एकाधिकार' भाव से रहते हैं।

किसी भी व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है—आत्म-संप्रत्यय! स्वयं के प्रति, स्वयं के होने के प्रति हमारी अपनी अवधारणा या संप्रत्यय! जब यह नकारात्मक या सकारात्मक होता है तो जीवन को देखने की दृष्टि तो बदलती ही है,

© NCERT not to be republished

साथ ही चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस भी बढ़ता है। स्वयं को सक्षम मानने वाले केवल 14.06 प्रतिशत बच्चे ही जीवन की चुनौतियों के आगे 'पराजय' का भाव नहीं रखेंगे! वहीं 85.94 प्रतिशत बच्चों को लगता है कि वे सक्षम नहीं हैं और समाज के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है! आत्म-संप्रत्यय के प्रति यह नकारात्मक दृष्टि अनेक संभावनाओं को जन्म देती है। संभवत: बच्चे अपराध, नशे और आत्महत्या जैसे मार्गों पर चल पड़ने के लिए विवश हो जाएँ क्योंकि वे स्वयं को 'बोझ' और 'असमर्थ' पाते हैं। जीवन को जीने का साहस रखने वाले व्यक्तित्व का सबसे पहले खुद पर विश्वास होता है कि हाँ, हम यह कर सकते हैं! लेकिन पहले ही हार मान लेना और जीवन की गुज़र-बसर के लिए किसी भी मार्ग पर प्रशस्त होना— जीवन की जटिलताओं को तो बढ़ाता ही है, साथ ही समाज की भी जटिलताएँ बढ़ती हैं।

निष्कर्ष

शोध के आँकड़े इस निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद करते हैं कि हाशिये पर रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व-विशेषकों में कई विशेषक बहुत उभरकर समक्ष आते हैं। मौखिक भाषागत व्यवहार के संदर्भ में इन बच्चों में न तो अपनी बात कहने में कोई रुचि है और न ही दूसरों की बातों को सुनने में रुचि व धैर्य! ये बच्चे अपनी बात को बिना संकोच के नहीं कह पाते हैं और अपशब्दों का प्रयोग एक सामान्य घटना है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और 'खामोशी की संस्कृति' के वाहक ये बच्चे हाशिये पर तो रहते हैं, लेकिन इनका 'मौन' इन्हें और भी हाशिये पर धकेल देता है। स्वर की मुखरता का होना स्वयं के होने की पहली शर्त है! दूसरों के साथ व्यवहार के संदर्भ में ये बच्चे बहुत सहज नहीं हैं। दूसरों द्वारा स्वीकृति न होने के कारण भी इनके बहुत अधिक दोस्त नहीं होते। समाज में रहते हुए भी 'सामाजिक' न हो पाना इनके व्यक्तित्व कि पहचान है। लड़का-लड़की के कामों के बीच का विभाजन बहुत अच्छे से याद है और उसी परंपरा का निर्वाहन भी करते हैं। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि दूसरों के काम में हाथ बँटाते हैं और 'सामाजिकता' के दायरे में आने की सफल कोशिश करते हैं। स्वयं की प्रवृत्ति और व्यवहार के संदर्भ में सबसे अहम बात यह है कि ये बच्चे हाशिये पर रहने को ही अपनी नियति मान बैठे हैं और स्वयं को सक्षम नहीं मानते, न ही सवाल पूछते हैं। उदासी, अनुशासनहीनता और अधीरता इनके व्यक्तित्व का गुण है! जीवन के प्रति सकारात्मक सोच से दूर ये बच्चे समस्याओं के समाधान खोजने या 'जुगाड़' लगाने में माहिर हैं। अभावों के कारण ही सही, अपनी चीज़ों को साझा करने से कतराना पुनः असामाजिक होने की श्रेणी में इन्हें ला खड़ा कर देता है!

शैक्षिक निहितार्थ

हाशिये पर रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व-विकास पर ही इस समाज, देश का विकास टिका है, क्योंकि 'देश का अर्थ कोई भौगोलिक सीमा नहीं है की 'यहाँ' से 'वहाँ' तक नाप लिया! देश तो आपसे और हमसे बनता बना है। यानी उस देश के लोग कैसे हैं? वे कैसे रहते हैं? उनकी विचारधारा कैसी है? वे कैसा सोचते हैं? उनके उद्देश्य और प्राथमिकताएँ क्या हैं? ... तो

© NCERT not to be republished

देश आपसे और हमसे यानी उस देश में रहने वालों से बनता है। ...इस तरह से देश की प्रवृत्ति भी तय होती है।' (सिन्हा, *शिक्षा के द्वंद्व*, पृष्ठ 138) हाशिये पर रहने वाले ये बच्चे भी 'देश' हैं और देश का एक 'अहम' हिस्सा और ज़िम्मेदार नागरिक भी! इन बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 'शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ...अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।' नीति के इस लक्ष्य को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि हाशिये पर रहने वाले बच्चों को, जो भविष्य में देश के युवा बनेंगे—बेहतर अवसर, बेहतर परिवेश उपलब्ध कराये जाएँ और उनमें यह आत्मविश्वास भरा जाए कि वे सक्षम हैं और उनका मुखर स्वर मायने रखता है! भारत और भारत का संविधान 'उनका भी है' यह सोच अक्सर उन बच्चों में नहीं बन पाती जो हाशिए पर रहते हैं! तर्कसंगत और अच्छे इंसानों का विकास करने संबंधी नीति के आधार सिद्धांत के संदर्भ में भी यही समीचीन लगता है कि हाशिये पर रहने वाले बच्चों की प्रतिभाओं को खोजा जाएँ, उन्हें सराहा जाएँ और उन्हें विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ! जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास 'वास्तव' में संभव हो सके ... मात्र 'नारों' से न तो दुनिया चलती है और न ही जीवन! 'शिक्षा की दुनिया' और 'जीवन की शिक्षा' भी इससे अछूते नहीं हैं!

संदर्भ

चोलकर, पराग (संपादक). 2013. *विनोबा-विचार-दोहन*. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नयी दिल्ली

जोशी, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री. 2017. *वैदिक संस्कृति का विकास*. साहित्य अकादमी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली – 110001

थानवी, रमेश. 2003. *शिक्षा की परीक्षा*. वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

सिंह, नरिंदर. 2004. *संस्कृति शिक्षा और लोकतंत्र*. ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड. लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092

सिन्हा, पवन. 2019. *शिक्षा के द्वंद्व*, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

यूनेस्को. द डकार *फ्रेमवर्क फार एक्शन. 2020*. यूनेस्को, पेरिस, फ्रांस

© NCERT not to be republished